

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
आई.टी. भवन, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005
कंमाक :- एफ.2(2869)/डी.ओ.आई.टी./संस्था/14/01550/2020 जयपुर, दिनांक : 05.03.2020

अनापत्ति प्रमाण पत्र

श्री गोविन्द जांगिड, सूचना सहायक कार्यालय सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, ब्लॉक मुख्यालय झुन्झुनू को वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा से पत्राचार के माध्यम से M.Sc (Computer Science) परीक्षा में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति श्री गोविन्द जांगिड, सूचना सहायक को राजस्थान सिविल सेवाएँ (आचरण) नियम, 1971 के नियम-17 की निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है

1. कर्मचारियों को परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
2. अध्ययन स्वीकृती/परीक्षा की अनुमति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
3. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
4. प्रशासनिक कारणवश स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
5. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

कार्मिक को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे भविष्य में किसी भी प्रकार के अध्ययन पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने से पूर्व विभागीय स्वीकृती प्राप्त करें।

Sd/-

(विवेक कुमार)

विशेषाधिकारी (यू.आई.डी) एवं
प्रभारी अधिकारी संस्थापन (अराजपत्रित)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. ए.सी.पी. (उपनिदेशक), जिला कार्यालय सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, झुन्झुनू।
2. श्री गोविन्द जांगिड, सूचना सहायक कार्यालय सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, ब्लॉक मुख्यालय झुन्झुनू।
3. प्रभारी अधिकारी वेबसाइट, वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
4. संबंधित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

Gtm
04/03/2020

प्रशासनिक अधिकारी (संस्थापन)